



**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O, BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 271 /Type Approval No.: 271

नवीकरण सं. /Renewal No.: 09 / संशोधन सं./Amendment No.: Nil

**विषय/Sub: शॉक एब्सॉर्बर, टाइप एडी-7 एवं एडी-8/
Shock Absorber Type AD-7 and AD-8**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स युरेका इलेक्ट्रॉनिक्स, 5/2, ईस्ट रोड, कलकत्ता- 700 032 द्वारा उत्पादित शॉक एब्सॉर्बर, टाइप एडी-7 एवं एडी-8, को निर्धारित स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपेरेशन दस्तावेज़ सं. एनए के अनुसार और आर सी एम ए (हैदराबाद) द्वारा अनुमोदित तकनीकी विनिर्देश और क्वालिफिकेशन टेस्ट आवश्यकताओं के अनुकूल वर्ग अनुमोदित/नवीकृत किया जाता है। इस वर्ग अनुमोदन का आधार और संगत उड़नयोग्यता अनुमोदन सूचना वर्ग अनुमोदन डेटा शीट के परिशिष्ट ए में विवरित किया गया है।

This is to state that Shock Absorber, Type AD - 7 and AD - 8, manufactured by M/s Ureka Electronics, 5/2, East Road, Calcutta -700 032 is hereby Type Approved/Renewed as per the Standard of Preparation defined vide document No. NA and conforms to Technical Specification and Qualification Test Requirements approved by RCMA (Hyd). The basis for this Type Approval and the relevant Airworthiness Approval information are described in the 'Type Approval Data Sheet' at Appendix A.

यह अनुमोदन निबंधन और शर्तों के अधीन तथा पृष्ठ के दूसरी ओर उल्लेखित, संशोधन सहित नवीकरण विवरणों के अनुसार जारी/नवीकृत किए गए दिनांक से (01-05-2019 से 30-04-2024 तक) पाँच वर्ष के लिए वैध है।

This approval is valid for a period of five years from the date of issue/ renewal (from 01-05-2019 to 30-04-2024) subject to terms, conditions and renewal cum amendment details mentioned overleaf.

सं. /No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ए.टी/TA-271/9R

दिनांक / Date : 14 May 2019

फैक्स सं. / Fax No.: 080-2523 0856

13th May 19

14

P. Jayal

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक /Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)